न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/3271/2005/जैसलमेर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण जिला जैसलमेर

–अपीलार्थी

बनाम

1. गजेसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोडरडी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित

श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री डूंगरसिंह राठौड, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 31.12.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, पोकरण के समक्ष एक वाद

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मोडरडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 81बीघा 15बिस्वा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30-03-1977 से वादी का दावा डिक्री कर दिया। इस निर्णय को निरस्त कराने हेतु जिला कलक्टर द्वारा मण्डल के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया, जिसे राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 21-03-1986 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-03-1986 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-03-1990 से प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई वाद वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध तहसीलदार, पोकरण ने विचारण न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर पूर्व पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26-02-1992 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिव्यू प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। इस निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-04-1993 से निरस्त कर दी। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थनापत्र को अपने आदेश दिनांक 31-03-1995 से स्वीकार कर मूल वाद में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जिसे उन्होंने रिव्यू स्वीकार करने की सीमा तक पारित आदेश को बहाल रखते हुए, रिव्यू के द्वारा मूल वाद में पारित

डिक्री को निरस्त किये जाने को अपास्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 05–01–2004 से वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–04–2004 से अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए वादी प्रत्यर्थी को विवादित आराजी को खातेदार घोषित कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत वादी को खातेदारी अधिकार तभी दिये जा सकते है जबकि वह अधिनियम के प्रभाव में आने के समय काश्तकार रहा है, अन्यथा वादी प्रत्यर्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक को विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत

वाद को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए केवल मात्र कब्जे के आधार पर अपील को स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर वादी प्रत्यर्थी का कब्जा काश्त पीढियों से निरन्तर चला आ रहा है। उनका कथन है कि रियासत काल में विवादित आराजी जिन जागीरदारान के अधीन थी, उन्हीं के बयानों से वादी ने अपने वाद की पुष्टि करवाई। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर उनके पक्षकार अपने पूर्वजों के समय से अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। उनका कथन है कि प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी विवादित आराजी पर उनके पक्षकार का कब्जा प्रमाणित है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौखिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके पक्षकार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में

विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं द्वितीय अपील के स्तर पर राज्य पक्ष की ओर से उठाये गये विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं के मद्देनजर अपील को सुदढ आधार पर आधारित होना मानते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी को क्षम्य किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 81बीघा 15बिस्वा भूमि पर बहैसियत खातेदार पीढियों से काबिज काश्त होना तथा सेटलमैन्ट विभाग की गलती से विवादित आराजी सिवायचक दर्ज होना कथन करते हुए घोषणा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रत्यर्थी की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पूर्व में उनके पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज रही तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से विवादित

आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज किया गया हो। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि विवादित आराजी पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से निरन्तर काबिज काश्त साधिकार रहे हो। प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रत्यर्थी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी तथा वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता था। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय मौखिक साक्ष्य पर अधिक बल देते हुए वादी प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विवादित आराजी का वादी को खातेदार घोषित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष विवादित आराजी पर पीढ़ियों से काबिज काश्त रहा हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, ना ही विवादित आराजी उनके पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज रही हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा का वाद डिक्री योग्य नहीं था। राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज भूमि पर वादी प्रत्यर्थी के काबिज काश्त होने के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-04-2004 निरस्त

किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, पोकरण द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05–01–2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य